कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री एलविन लेदर क्राफ्ट प्रा0लि0, डी-10, इण्डस्ट्रियल एरिया, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, पनकी साइट नम्बर-01, कानपुर ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**019 / 16, 05.09.2016**
प्रार्थी की ओर से	श्री **प्रमोद कुमार द्विवेदी, विद्वान अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री एलविन लेदर क्राफ्ट प्रा0लि0, डी-10, इण्डस्ट्रियल एरिया, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, पनकी साइट नम्बर-01, कानपुर द्वारा दिनांक 05.09.2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा हील पर कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए । उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर के पत्र संख्या-3222, दिनांक 30.11.2016 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा प्लास्टिक दाने से निर्मित फुटवियर के हील के निर्माण एवं बिक्री का कारोबार क्या जाता है जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-सी के क्रम संख्या-150 पर अंकित प्रविष्टि '' प्रिपेअॅर्ड रबर एक्सीलरेटर्स, रबर या प्लास्टिक्स के कम्पाउण्ड, प्लास्टिसाइजर्स जिन्हें कहीं उल्लिखित अथवा शामिल न किया गया हो, रबर या प्लास्टिक हेतु एन्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रिपेरेशन्स एवं अन्य कम्पाउण्ड स्टेबिलाइजर्स, जूतों के अपर एवं लोअर, सोल, आईलेट, जूतों के फीते, शू बेल्ट्स के अन्तर्गत 4% की दर से कर माना जा रहा है । '' उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-सी के क्रम संख्या-150 पर निम्न प्रविष्टि है :-

'' Pepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics, Upper & lower of shoes,sole,ilet,shoe laces. "

करदाता द्वारा फुटवियर के हील (Heel) के उत्पादन एवं बिक्री का व्यापार किया जा रहा है । हील्ड फुटवियर में हील को आउटर सोल पर इम्प्लान्ट किया जाता है । सन्दर्भित प्रविष्टि में उल्लिखित वस्तुओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जूते के अपर एवं लोअर, सोल, आइलेट, शू-लेसेस पर 4% की दर से करदेयता निर्धारित है । अत: करदाता द्वारा निर्मित वस्तु '' हील '' का समावेश सन्दर्भित प्रविष्टि में न होने के कारण उस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से करदेयता है । यह भी उल्लेखनीय है कि करदाता द्वारा दाखिल किये गये रिटर्न में हील की बिक्री पर कर एवं अतिरिक्त कर सहित 14% की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है । साक्ष्य के रूप में माह-अप्रैल, 2013 एवं माह-मई, 2016 के रिटर्न की प्रतियाँ दाखिल हैं।

. 2

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए यह कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा माह-मई, 2016 के रिटर्न दाखिल किये गये हैं जिसमें हील की बिक्री पर 14% की दर से करदेयता स्वीकार की गयी है और जो कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। अत: प्रश्नगत वस्तु पर कर की दर का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

इसलिए आवेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा माह-मई, 2016 के रिटर्न दाखिल किये गये हैं जो कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। प्रार्थी द्वारा माह-मई, 2016 के रिटर्न दाखिल किये गये हैं जो कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन है। अत: प्रश्नगत बिन्दु कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन होने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008

....3

की धारा-59 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा-59 की परिधि में न आने के कारण ग्राह्य नहीं है।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 07 मार्च, 2017

ह0/ 07-02-17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।